Government of National Capital Territory of Delhi

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

B- Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513, Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

Pre-Matric Scholarship to OTHER BACKWARD CLASSES Students Studying in Class I to X (2015-16)
(Sponsored by Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India)

Closing Date : 20.09.2015

1. Application are invited from eligible students of National Capital Territory of Delhi upto 20.09.2015 between 10.00 AM to 01.00 P.M belonging to Other Backward Classes notified by the Central/State Government pursuing education from Class I to X in Government/Aided Schools/Institute or Private School/Institute recognized by approved authority. Public Schools affiliated to Directorate of Education/Kendriya Vidyalaya/ National Open Schools/Schools affiliated to NDMC/ Municipal Corporation of Delhi/Delhi Cantonment Board for awarding Pre-Metric Scholarship. The scheme is specially meant for other Backward Classes having domicile of NCT of Delhi.
   1. Eligible students studying in schools affiliated to Municipal Corporation of Delhi May submit their forms to Head of School Principal who in turn may submit the consolidated proposal to zone concerned. Zone incharge in turn may submit to consolidated proposal to Assistant Education Officer, 15th Floor, Civic Centre, Minto Road, New Delhi.
   2. Eligible students studying in school affiliated to N.D.M.C may submit the forms to Head of School/Principle who in turn may submit the consolidated proposal to Deputy Education Officer (General), Department of Education 10th Floor, Palilka Kendra Sansad Marg New Delhi.
   3. Eligible student studying in school affiliated to Directorate of Education may submit their form to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal to Deputy Director Sch/Planing, Education Deptt.,Old Partrachar Bulding, Timarpur, Delhi-52 who is Nodal Officer in the Matter.
   4. Eligible students studying in schools affiliated to Delhi Cantonment Board may submit the forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the Office of the Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board, Delhi Cantonment, Delhi-110013.
   5. Eligible students studying in schools affiliated to Kendriya Vidyalaya Sangathan May submit their form to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the Office of the Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Delhi Region, JNU Campus, New Delhi.
   6. Eligible students studying in Recognized Public Schools, National Open Schools and other schools approved by the Government but not falling under any of the category at S.No. to 5 above, may submit their forms to Head of Schools/Principal who in turn may submit the consolidated proposal along with application form duly verified by the Principal to Deputy Director(Scholarship) , Department for Welfare of SC/ST/OBC/Min., B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002 immediately or latest by 20.09.2015.
2. **ELIGIBILITY:** Scholarship will be granted in the case of students whose parents/guardiens annual Income from all sources does not exceed Rs. 44,500/- (Rs. Forty Four Thousand and Five Hundred only.)
3. **CONDITIONS FOR SCHOLARSHIP:**
   (i) Amount of Scholarship will be credited to the students personal bank account and performa of bank detail should be verified by the concerned bank/Branch authority.
   (ii) Students claiming benefits under the scheme shall not be allowed to get benefits under any other Pre-Metric scholarship scheme.
   (iii) The students may not be allowed to take up employment of under help to parents in their work during the course of studies.
   (iv) The scholarship will be discontinued if a student fails to secure annual promotion except in case of unavoidable reasons to be certified by the competent authority of the scheme.
   (v) If a student violates school discipline or any other terms and conditions of the scholarship, scholar may be suspended or even cancelled subject to satisfaction of the competent school authority.
   (vi) Migration of students from one institution to another would not normally be allowed during the course of academic year except exceptional circumstances and in the interest of students academic career.
   (vii) The students should be regular in attendance for which the yardstick shall be decided by the competent authority of the school.
4. **RATES OF SCHOLARSHIP:**

S.	Class	Rate for Day Scholar for ten months	Rate for Hosteller for ten months	ADHOC grant (per annum)	Total benefit (per annum)
1.	I to V	250/ -	---	500/ -	750/ -
2.	III to VII	---	2000/ -	500/ -	2500/ -
3.	VI to VIII	400/ -	---	500/ -	900/ -
4.	IX to X	---	2500/ -	500/ -	3000/ -
5.	IX to X	500/ -	---	500/ -	1000/ -

"Hostellers include students who are not staying in hostel of the school/institute concerned or those provided by the State Government/Union Territory. The scholarship amount will be payable from the date of joining to the date of leaving the school, excluding the period of vacation, which will be about 10 months in a year except in the cases where the students enters late or leaves early in the midst of academic year.

5. **HOW TO APPLY:**
   The application form can be downloaded from website of this department (www.scstwelfare.delhigovt.nic.in)
6. **OTHER CONDITION:**
   (i) Individual applications shall not be entertained, Head of School must ensure that no eligible Other Backward Class students is left out and consolidated list of students should be sent to concerned office Indicated above. The Nodal Officer of the concerned Department/Organization should forward the complete proposal (In soft as well as hard copy as per format being sent separately) to the Deputy Director (Scholarship), Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minority, 2nd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi on or before the closing date. Application received after the last date will be rejected summarily. On the forwarding letter Name of the Scheme & Year should be clearly indicated.
   (ii) Family Income should not exceed Rs. 44,500/- (Rupees Forty Four Thousand and Five Hundred only) per annum, Self declaration of family Income in the prescribed formal (available on website) is required.
   (iii) OBC caste certificate in the name of the student should be issued by S.D.M./ Deputy Commissioner, Government of N.C.T of Delhi.
   (iv) The eligibility of the applicant will be decided as per the Guidelines/Notification/Circular write up of the scheme Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment issued by Time to Time.

*** Applicant and form attesting authority/school authority, who gives false and fabricated documents/information will be prosecuted.**

Principal secretary
(Department for The welfare of SC/ST/OBC/MIN.)

DIP/0747/2015-16

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्प संख्यक कल्याण विभाग

दूसरा तल, बी–ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002,

फोन: 23379511-12, फैक्स: 23379513, Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

समापन तिथि : 20.09.2015

कक्षा 1 से कक्षा 10 पढ़ने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति की योजना (2015–2016)
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 20.09.2015 को 10.00 से 01.00 के बीच कक्षा 1 से 10 तक सरकारी / सहायता प्राप्त विद्यालय / संस्थान या निजी विद्यालय / अनुमोदित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, शिक्षा निदेशालय के साथ संबद्ध पब्लिक स्कूल / केन्द्रीय विद्यालय / राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय / एनडीएमसी / दिल्ली नगर निगम / दिल्ली केंटोनमेंट बोर्ड के साथ संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र छात्रों से प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिवासी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।
    1. दिल्ली नगर निगम के साथ संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र पूर्व – मेट्रिक अल्पसंख्यक छात्रों को अपने प्रपत्र विद्यालय प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करने होंगे जो संबंधित अंचल में समेकित प्रस्ताव जमा करेंगे। इसके बाद अंचल के प्रभारी ये समेकित प्रस्ताव सहायक शिक्षा अधिकारी, 15वां तल, सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली के पास जमा करेंगे।
    2. एन. डी. एम. सी. से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र पूर्व – मेट्रिक अल्पसंख्यक छात्रों को अपने प्रपत्र विद्यालय प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा कराने होंगे जो समेकित प्रस्ताव उप शिक्षा अधिकारी (सामान्य), शिक्षा विभाग, 10वां तल, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली में जमा करेंगे।
    3. शिक्षा निदेशालय से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र पूर्व – मेट्रिक अल्पसंख्यक छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय प्रमुख/ प्रधानाचार्य के पास जमा करेंगे जो इसका समेकित प्रस्ताव संबंधित जिले में जमा करेंगे। जिले के उप निदेशक समेकित प्रस्ताव उपनिदेशक शिक्षा विभाग, पुराना पत्राचार भवन, तिमारपुर, दिल्ली–52 के पास जमा करेंगे जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।
    4. दिल्ली केंटोनमेंट बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र पूर्व – मेट्रिक अल्पसंख्यक छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करेंगे, जो इसका समेकित प्रस्ताव मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली केंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली केंटोनमेंट, दिल्ली–110013 के पास जमा करेंगे।
    5. केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र पूर्व – मेट्रिक अल्पसंख्यक छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करेंगे जो समेकित प्रस्ताव सहायक आयुक्त के कार्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली, क्षेत्र, जेएनयू परिसर, नई दिल्ली में जमा करेंगे।
    6. मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों और सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य विद्यालयों, जो उपरोक्त 1 से 5 की श्रेणियों में नहीं आते, में पढ़ने वाले पात्र पूर्व – मेट्रिक अल्पसंख्यक छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करेंगे, जो समेकित प्रस्ताव उप निदेशक (छात्रवृत्ति), अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बी–ब्लॉक, दूसरा तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 के पास तुरंत या अधिक से अधिक 20.09.2015 तक जमा करेंगे।

2. **पात्रता :** छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता / संरक्षकों की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 44,500 रु. (केवल चवालीस हजार और पांच सौ रुपए) है

3. **छात्रवृत्ति के लिए शर्तें**
    1) छात्रवृत्ति की राशि को छात्र के व्यक्तिगत बैंक खाते में डाल दिया जाएगा और बैंक विवरणों के प्रपत्र का सत्यापन संबंधित बैंक / शाखा प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।
    2) योजना के तहत लाभ का दावा करने वाले छात्रों को अन्य किसी प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ पाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    3) छात्रों को पाठ्यक्रम के अध्ययन काल में रोजगार करने या अपने माता पिता की सहायता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    4) यदि छात्र वार्षिक पदोन्नति पाने में असफल रहता है तो छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी सिवाए अपरिहार्य कारणों के मामले, जिसे योजना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।
    5) यदि छात्र विद्यालय का अनुशासन या छात्रवृत्ति की अन्य किसी शर्तों और निबंधनों का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति निलंबित की जा सकती है अथवा इसे सक्षम विद्यालय प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार रद्द भी किया जा सकता है।
    6) आम तौर पर शैक्षिक वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम के बीच छात्रों को असाधारण परिस्थितियों के अलावा तथा छात्र के शैक्षिक कैरियर के हित को ध्यान में रखते हुए एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
    7) छात्रों की उपस्थिति नियमित होनी चाहिए, जिसके लिए विद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मापदण्ड तय किया जाएगा।

4. **छात्रवृत्ति की दरें**

क्र. सं	कक्षा	10 माह के लिए डे स्कॉलर के लिए दरें	10 माह के लिए छात्रावासी के लिए दरें	तदर्थ अनुदान (प्रतिवर्ष)	कुल लाभ (प्रतिवर्ष)
1.	I से V	250/-	---	500/-	750/-
2.	III से VII	---	2000/-	500/-	2500/-
3.	VI से VIII	400/-	---	500/-	900/-
4.	IX से X	---	2500/-	500/-	3000/-
5.	IX से X	500/-	---	500/-	1000/-

* छात्रावासी में वे छात्र शामिल हैं जो संबंधित विद्यालय / संस्थान के छात्रावास में नहीं रहते हैं या जिन्हें राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दिए गए हैं। छात्रवृत्ति की राशि विद्यालय में आने की तिथि से लेकर छोड़ कर जाने की तिथि तक देय होगी, जिसमें अवकाश की अवधि शामिल नहीं होगी, जो उन मामलों के अलावा, वर्ष में लगभग 10 माह होगी, जब छात्र शैक्षिक वर्ष में देर से प्रवेश करता है या मध्य में छोड़ देता है।

5. **आवेदन कैसे करें :**

आवेदन पत्र इस विभाग की वेबसाइट (**www.scstwelfare.delhigovt.nic.in**) से डाउनलोड किया जा सकता है।

6. **अन्य शर्तें**
    (i) अलग अलग आवेदनों को विचार में नहीं लिया जाएगा। विद्यालय के प्रमुख सुनिश्चित करें कि कोई पात्र अ. पि. वर्ग छात्र छूट न जाए और छात्रों की समेकित सूची उपरोक्त उल्लिखित संबंधित कार्यालय में भेजी जाए। संबंधित विभाग / संगठन के नोडल अधिकारी द्वारा संपूर्ण प्रस्ताव (प्रारूप के अनुसार सॉफ्ट तथा हार्ड प्रति अलग अलग भेजी जाए) उप निदेशक (छात्रवृत्ति) अनु. जाति/ अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दूसरा तल, बी–ब्लॉक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली के पास समापन तिथि को या उसके पूर्व पहुंच जाने चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अग्रेशण पत्र पर योजना के नाम और वर्ष की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए।
    (ii) पारिवारिक आय प्रति वर्ष 44,500 रुपए (केवल चवालीस हजार और पांच सौ रुपए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्धारित प्रारूप (जैसा नीचे दिया गया है) में पारिवारिक आय की स्वयं घोषणा देनी होगी।
    (iii) छात्र के नाम पर अ. पि. वर्ग जाति प्रमाणपत्र एस. डी. एम./ उपायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाए ।
    (iv) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश/ अधिसूचना / परिपत्र योजना के लेख के अनुसार आवेदक की पात्रता तय की जाएगी।

*** आवेदक और प्रपत्र का सत्यापन करने वाले प्राधिकारी / विद्यालय के प्राधिकारी, जो झूठे और जाली दस्तावेज / जानकारी देते हैं, उन्हें अभियोजित किया जाएगा।**

प्रधान सचिव

(अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अ. पि. वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

DIP/0747/2015-16